

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

ग़रब खिड़की केवल आवसीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 881 दिनांक 01/02/2021

प्राथी श्याम राज माथुर 5/6 श्री लखपत राज माथुर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No-28 श्याम सुथना, खसरा संख्या

धारा 184 (7) (घ) के तहत आवसीय 147/130 सुज नगर योजना

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 19525/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/143/1432

दिनांक 01/02/2021 को जमा करा दी है ।

01/02/2021

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Spand  
6377880171